समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–92 / 2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

जितेन्द्र महतो एवं अन्य

–::आदेश::–

19.06.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–19 / 2022, दिनांक–15.12.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि चास(मु0) थाना कांड सं0–17 / 2022, दिनांक–21.02.2022, धारा–379 / 34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AB-7349 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट अवैध बालू 2. ट्रैक्टर वाहन सं0–JH10AQ-0665 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट अवैध बालू को बिना परिवहन चालान के परिवहन करने के आरोप में वाहन मालिक / चालक के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनकी ओर से दाखिल कारण–पृच्छा का अवलोकन किया गया।

विपक्षी सं0–1 राधिका देवी पति महेश महतो की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी वाहन सं0–JH09AB-7349 के मालिक है। उक्त वाहन पर राजसात् करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षी को गलत तरीके से इस मुकदमें में फँसाया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि वादी के द्वारा छापेमारी के दौरान वाहन पर कोई बालू लदा नहीं था। अन्य वाहन जो बालू के परिवहन में संलिप्त था उसी के साथ प्रश्नगत वाहन को भी जप्त कर लिया गया। विपक्षी के द्वारा न तो कभी

भी अवैध रूप से बालू का परिवहन किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के ही उन पर वाद दायर किया गया है। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत वाहन को बैंक से ऋण लेकर कृषि कार्य हेतु खरीदा गया है, जो उनके आय का एकमात्र साधन है। वाहन के जप्त होने से वह ऋण चुकाना बंद हो गया है। वाहन के द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया है। विपक्षी के पास वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात मौजूद है। इसी थाना काण्ड के अन्तर्गत जप्त एक अन्य वाहन सं0–JH10AQ-0665 के संदर्भ में अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन मान्नीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बोकारो को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुसंधानकर्त्ता के द्वारा वाहन को विमुक्त करने के संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं की गई है। उक्त के आलोक में मान्नीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बोकारो के द्वारा उक्त वाहन (बालु छोड़कर) को दिनांक–29.08.2022 को आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित मे जप्त वाहन को विमुक्त करने एवं इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0– 2 जितेन्द्र महतो पिता किनु महतो की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विपक्षी वाहन सं0– JH10AQ-0665 के मालिक है। उक्त वाहन पर राजशात् करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षी को गलत तरीके से इस मुकदमें में फँसाया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि मान्नीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बोकारो के द्वारा उक्त वाहन (बालु छोड़कर) को दिनांक–29.08.2022 को आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत यह अधिहरण की कार्यवाही

विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों यथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का दलील, दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि **विपक्षी सं0–1** राधिका देवी पति महेश महतो की बिना वैध कागजात के ही प्रश्नगत बालू का परिवहन किया जा रहा था। जाँच दल को देखते ही वैध कागजात/ई परिवहन चालान प्रस्तुत करने के बजाय, चालक/मालिक का वाहन छोड़कर भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। उनकी ओर से दाखिल कारण पृच्छा न तो संतोषजनक है और न ही उसका कोई ठोस आधार। बिना वैध ई–परिवहन चालान के खनिजों का उत्खनन कर परिवहन करना MMDR Act, 1957 की धारा–4(1), 4(1A) का उल्लंधन है एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा–21 के तहत दण्डनीय भी। वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से बालू के परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत निपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से अधिहरण की कार्यवाही हेतु वाद दायर करने के पूर्व ही, चास(मु0) थाना कांड सं0–17/2022, दिनांक–21.02.2022 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन रजि0 नं0– JH10AQ-0665 एवं ट्रेलर रजि0 नं0–JH10AQ-4238 (वाहन पर लदे करीब 100 घनफीट बालू को छोड़कर) मान्नीय न्यायालय अपर न्यायिक मुख्य दण्डाधिकारी, बोकारो के द्वारा न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। जप्त बालु के संदर्भ में अब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–17/2023, दिनांक–11.04.2023 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए चास(मु0) थाना कांड सं0–17/2022, दिनांक–21.02.2022, धारा–379/34 भा0द0वि0, 21 खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर वाहन सं0–JH09AB-

7349 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट अवैध बालू तथा ट्रैक्टर वाहन सं0–JH10AQ-0665 पर लदा लगभग 100 घनफीट अवैध बालू (विमुक्त वाहन को छोड़कर) को राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

19.6.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

19.6.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

C. C. Issued Vide
No. 3986 Dated 4/7/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.16 16:36:17 +05:30
Location: 192.168.1.103